न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00012 (09/2020) **दायरा दिनांक : 06.01.2020**

उनवान

ग्राम पंचायत देवनगर द्वारा सरपंच देवनगर

.... अपीलांट

बनाम

1. मोहनलाल
2. सुगन चन्द पिसरान बगदा, जाति रूवाला, निवासी भूंभाडा, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बकानी, जिला झालावाड (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झालरापाटन, नवसृजित तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 06.02.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 455/दावा/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2011 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम भूंमाडा, पटवार क्षेत्र देवनगर, भू अभिलेख निरीक्षक, सलावद की नई जमाबंदी सं. नई 113 पुराना 110 की संवत 2064–2067 में खसरा नं. कुल 20 की कुल क्षेत्रफल 36 बीघा 5 बिस्वा में से वादीगण 1/2 हिस्से का काश्तकार है जिसमें विवादग्रस्त खसरा नं. 635 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा को विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.20211 से दावा वादीगण बरूऐ राजीनामा स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि दिनांक 21.06.2011 को उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के द्वारा दूरभाष संदेश पर नायब तहसीलदार, बकानी द्वारा मौका रिपोर्ट बनायी जिसके वर्णनानुसार प्रत्यर्थीगण ने बताया था कि रास्ते बनाने में उन्हें किसी प्रकरण से कोई आपत्ति नहीं है। शमशान पर आने जाने तथा खेतों पर आने जाने तथा उस हेतु वाहन का उपयोग के लिए रास्ता रहेगा, किन्तु अन्य प्रकार से रास्ता नहीं रहेगा, दोनों पक्षों के मध्य इस स्वीकारोक्ति के तहत ही राजीनामा था तथा दोनों पक्षों ने इसी स्वीकारोक्ति के अनुसरण में उसी दिन उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत करने की रजामंदी तय थी, इसी रजामंदी के अनुसार दोनों पक्ष न्यायालय में गये भी, राजीनामा प्रस्तुत भी किया, मौका रिपोर्ट भी उसी दिन न्यायालय में प्रस्तुत हो गई, किन्तु उस वक्त किस प्रकार किस परिस्थिति से माननीय न्यायालय में इस स्वीकारोक्ति के विपरीत राजीनामा प्रस्तुत हो गया जो सहवन से वादपत्र की विषयवस्तु के अनुसार लिखा गया प्रतीत हो रहा है, जिसका प्रभाव दिनांक 10.10.2019 को यह हुआ कि प्रत्यर्थीगण ग्रामवासियान तथा शमशान में आने जाने वाले व्यक्तियों का रास्ता भी रोकने लग गये, जो प्रारम्भत, अकृत व शून्य है जो कि प्रतिवादीगण अपीलार्थी पर बाध्यकारी नहीं है। उक्त विवाद को मौका रिपोर्ट में वर्णित वादीगण अपनी लिखित स्वीकृति से विबन्धित है, इस कारण उनको उक्त आराजी में दर्शित रास्ते को रोके जाने का कोई अधिकार नहीं है। राजीनामा राजीनामे के आदेश 23 नियम की पालना नहीं की है जिस कारण राजीनामा पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है। दिनांक 10.10.2019 को यह हुआ कि प्रत्यर्थीगण ग्रामवासियान तथा शमशान में आने जाने वाले व्यक्तियों का रास्ता भी पूर्णतया रोकने लग गये जिस बाबत अपीलार्थी को अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपील पेश करने को बाध्य होना पड़ा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः विधिवत प्रक्रम पर सुनवाई करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाये।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.10.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने दावा धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया था। हमारी वादग्रस्त आराजी से रास्ता नहीं निकालने हेतु वादी रेस्पोडेंट ने दावा किया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पर्चा मौका रिपोर्ट सलंग्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजीनामा पेश हुआ जो सलंग्न है जिसमें रास्ता नहीं देने का कथन गलती से लिखा गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम भूंमाडा, पटवारा क्षेत्र देवनगर, भू अभिलेख निरीक्षक सलावद की नई जमाबंदी संख्या नया 113 पुराना 110 सम्वत 2064–67 में खसरा नम्बर कुल 20 की कुल 36 बीघा 06 बिस्वा में से वादीगण 1/2 हिस्से का काश्तकार है, जिसमें खसरा नं. 635 रकबा 7.02 बीघा विवादग्रस्त आराजी है। प्रतिवादीगण जबरन ताकत एवं बल से वादीगण की विवादग्रस्त आराजी पर ग्राम भूमाडा से पूरब से होता हुआ पश्चिम दिशा में एक रोड का निर्माण कर रहे है जबकि पूर्व से होता हुआ पश्चिम का रास्ता पहले से ही बना हुआ है। इस रास्ते में बरसों से ही ग्रामवासी नदी पर जा रहे है। वादीगण की भूमि को इस रास्ते से बहुत नुकसान हो रहा है तथा वादीगण के खेजडी, बबूल, नींबू के एवं बांस के पौधो को नुकसान पहुंचा रहे है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण की वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से बेजा मजाहमत मदाखलत नहीं करे ना ही किसी अन्य से ऐसा करवाया जाये इस बाबत् वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निशेधाज्ञा जारी की जाये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 21.06.2011 को एक राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वादीगण की खसरा नं. 365 रकबा 7.02 बीघा पर नया रास्ता शमशान पर जाने वाला नहीं बनायेंगे तथा वादीगण की भूमि पर किसी भी भाग पर मजाहमत व मदाखलत नहीं करेंगे तथा वादी की भूमि पर नुकसान नहीं करेंगे।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय झालावाड द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2011 से दावा वादीगण जर्ये राजीनामा स्वीकार किया गया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी कम 1 के द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट एवं वादी रेस्पोडेंटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.06.2011 को पेश किये राजीनामे को तस्दीक करने के पश्चात मुताबिक राजीनामा वादी का वाद स्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया। राजीनामे पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2060–67 ग्राम भूंमाडा, तहसील झालरापाटन के अनुसार खसरा नं. 635 रकबा 7.02 बीघा आराजी वादीगण के खाते की आराजी है। वादीगण विवादित आराजी खातेदार होने से धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश करने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष द्वारा दिनांक 21.06.2011 को पेश किये राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया है। राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील मेन्टेनेबल नहीं होने से हम अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना विधि सम्मत नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/02/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

ग्राम पंचायत देवनगर
द्वारा सरपंच देवनगर

.....अपीलांट

बनाम

1.मोहनलाल
2.सुगन चन्द पिसरान बगदा, जाति रूवाला, निवासी भूंभाडा, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)
3.विकास अधिकारी, पंचायत समिति बकानी, जिला झालावाड (राज0)
4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झालरापाटन, नवसृजित तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)

.....रेस्पोडेंट

अपील नं. **2020 / 00012 (09 / 2020)** व नाराजगी डिक्री अदालत–**उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़**
मु.द.नं **455 / दावा / 2011** निर्णय एवं डिक्री दिनांक – **21.06.2011**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **09** माह **01** सन् **2026**

हाजरी **श्री पूरीलाल राठौर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित** की ओर से,

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2011 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **06** माह **02** सन् **2026** को जारी किया गया।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा